

#1198

नायपालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौडगढ (राज.)

(सीनियर अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिबिर 2025 कैम स्पल - कपासन)

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 514/25

दापर दिनांक 02/10/25

निर्णय दिनांक 02/10/25



ग्रामीण सेवा शिबिर-2025

क्र.सं.	नाम-धाम	खान	रिपोर्ट	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	<u>कपासन</u>	<u>157</u>	<p>महोदय जी, निर्वाचन है कि भूताधिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ वीकनोर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ वीकनोर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टी</p> <p>स्टेट बैंक ऑफ वीकनोर एण्ड जयपुर</p> <p>स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया</p> <p>शुद्ध प्रविष्टी</p> <p>हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार</p> <p>हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार</p>	<p>कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश</p> <p>तहसीलदार कपासन की अनुशांथा स्वीकार की जाकर राज. भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>कपासन</u> प.ह. <u>कपासन</u></p> <p>खातासं <u>157</u></p> <p>में वर्तमान प्रविष्ट स्टेट बैंक ऑफ वीकनोर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p> <p>पदेन सहायक कलक्टर कपासन</p> <p><u>कपासन</u></p>

प्रतिज्ञापि पालनार्थ:- पटवार गण्डन कपासन तहसीलदार(भ.श.) कपासन (उपखण्ड अधिकारी) सहायक कलेक्टर

1. पटवारी पटवार कपासन को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करके राजस्व कलेक्टर कपासन चितौडगढ

तहसीलदार कपासन
तहसीलदार(भ.श.) कपासन